भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4758

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2019

नीट से छूट

4758. श्रीमती कनिमोझीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सों में दाखिले हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के दायरे से छूट प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु विधान सभा संकल्प के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

क) से (ग): मेडिकल शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारक्षेत्र में आती है जिन्होंने सूचित किया है कि तमिलनाडु सरकार से अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल दाखिलों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के दायरे से छूट प्राप्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10 (घ) में मेडिकल दाखिलों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा नामत: एनईईटी आयोजित करने का प्रावधान है। चूंकि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान देश भर में बिना किसी छूट के लागू हैं, इसलिए राज्य को कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी।

*****